

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ यो०-०२-०७/२०१९-ज०स०-

15

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, हजारीबाग / मेदिनीनगर / देवघर ;
 संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: २५/४/१९

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न प्रमंडलों को पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० के कार्यान्वयन हेतु कुल रु. 19961.77 लाख (एक सौ निन्यानबे करोड़ एकसठ लाख सतहत्तर हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-69/16-17, दिनांक 15.12.2016, 70/16-17, दिनांक 15.01.2016, 26/17-18, दिनांक 21.07.2017, 88/16-17, दिनांक 06.03.2017, 94/16-17, दिनांक 29.03.2017, 46/18-19, दिनांक 04.01.2019, 53/18-19, दिनांक 01.02.2019, 39/17-18, दिनांक 15.09.2017, 14/17-18, दिनांक 01.06.2017, 08/17-18, दिनांक 15.05.2017, 17/17-18, दिनांक 19.06.2017, 16/17-18, दिनांक 19.06.2017, 27/17-18, दिनांक 24.07.2017, 47/18-19, 04.01.2019, 82/14-15, दिनांक 27.03.2015, 72/17-18, दिनांक 09.01.2018, 74/15-16, दिनांक 21.03.2016, 05/16-17, दिनांक 12.04.2016, 44/18-19, दिनांक 01.01.2019, 54/18-19, दिनांक 01.02.2019, 53/16-17, दिनांक 22.09.2016 एवं 77/16-17, दिनांक 17.01.2017

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है।

| क्र० | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड | कुल आवंटन (लाख रु. में) |
|------|--|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य/ | 800-अन्य व्यय/ 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० | 05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 49S470180800540545 | 19961.77 |

आवंटित राशि - ₹ एक सौ निन्यानबे करोड़ एकसठ लाख सतहत्तर हजार मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध ₹ 36000.00 लाख (₹ तीन सौ साठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) वि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग—1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट—1 के स्तंभ—11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।


 (अरुण कुमार सिंह) २५.४.१९
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :—


१५

रॉची, दिनांक :—

२५/४/१९

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/मेदिनीनगर/गढ़वा/पलामू/हजारीबाग/देवघर/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


 (अरुण कुमार सिंह) २५.४.१९
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :—


१५

रॉची, दिनांक :—


२५/४/१९

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक—यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


 (रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


 (हेमन्त कुमार)
 अभियंता प्रमुख—1


 (अरुण कुमार सिंह) २५.४.१९
 अपर मुख्य सचिव

माता संख्या-४९-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-४०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य

लघु शीर्ष-८००-अन्य व्यय।

उप शीर्ष-५४-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आरएम०
विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५-निर्माण कार्य
विपत्र कोड- ४९३४०१०८०००५४०५४५

वित्तीय वर्ष २०१९-२० में बजट उपबंध ₹ ३६०००.०० लाख (₹ तीन सौ साठ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. | प्रमंडल का नाम | मुख्य अभियंता | योजना का नाम | प्रशासनिक स्थिकृति की | | मार्च 2019 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष २०१९-२० में आवंटन | | | On-line Allotment Access No. | अन्वयिता |
|------|-------------------------------------|---------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|----------|
| | | | | राशि | प्रसंग | | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | आवंटित राशि | | |
| | | | | राशि | प्रसंग | | | | | | |
| 1 | जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR004) | मेदिनीनगर | मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिलान्तरगत तानरो जलाशय योजना के ERM कार्य | 4023.600 | Online AA-1938/22.12.16 | 69 / १६-१७ प्र.स्वी. | 2689.1200 | 0.00 | 1163.95 | 1163.95 | 17162 |
| | | | आनन्दराज जलाशय योजना के ERM कार्य | 9530.250 | Online AA-1939/22.12.16 | 70 / १६-१७ प्र.स्वी. | 2488.8400 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 17170 |
| | | | फुलगढ़ी योजना के जीणर्ड्डर एवं मुख्य नहरों का लाइनिंग कार्य | 911.622 | Online AA-1008/26.07.17 | 26 / १७-१८ प्र.स्वी. | 398.0000 | 0.00 | 510.36 | 510.36 | 17174 |
| 2 | जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR003) | मेदिनीनगर | मतलय जलाशय योजना के ERM कार्य | 18592.000 | Online AA-2555/07.03.17 | 88 / १६-१७ प्र.स्वी. | 3167.9400 | 0.00 | 4900.00 | 4900.00 | 17175 |
| | | | योगा | 3167.9400 | 0.00 | 4900.00 | 4900.00 | | | | |
| 3 | अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR001) | मेदिनीनगर | पण्डरया जलाशय योजना के नहरों के जीणर्ड्डर, पदकीकरण एवं विनिन संरचनाओं के मरम्मति कार्य | 1021.780 | Online AA-2848/31.03.17 | 94 / १६-१७ प्र.स्वी. | 525.2000 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 17176 |
| | | | बांधी बांकी जलाशय योजना का ERM कार्य | 2480.000 | Online AA-1774/04.01.19 | 46 / १८-१९ प्र.स्वी. | 0.0000 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 17177 |
| | | | बम्नीखांड जलाशय योजना का ERM कार्य | 632.740 | Online AA-2848/31.03.17 | 53 / १८-१९ प्र.स्वी. | 0.0000 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 17178 |
| | | | योगा | 525.2000 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 | | | | |

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अमित)

(रमेश कुमार द्वे)

विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख-१

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

विषय कोड- 49S470180800540545
वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध ₹ 36000.00 लाख (₹ तीन सौ साठ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. | प्रमंडल का नाम | मुख्य अभियान | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की | | मार्च 2019 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन | On-line Allotment Access No. | अस्थिरित |
|------|--|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| | | | | राशि | प्रसंग | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | अधिगम योजना प्रमंडल, पलामू (PLMIRR081) | मैदिनीनगर | उपरी कल्याण सिवाई योजना के जीणांद्वार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य | 2962.000 | 39/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 15.09.2017 | 1850.0000 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| | | | चोरडण्डा योजना के नहरों का जीणांद्वार एवं लाईनिंग कार्य | 831.000 | 14/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 01.06.2017 | 685.9600 | 0.00 | 95.94 | 95.94 |
| | | | बतरे जलाशय योजना के नहरों का जीणांद्वार एवं लाईनिंग कार्य | 926.915 | 08/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 15.05.2017 | 546.5100 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, मैदिनीनगर (PLMIRR007) | मैदिनीनगर | नकटी-नाला सिंचाई योजना का जीणांद्वार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य | 428.410 | 17/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 19.05.2017 | 277.0200 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | रामधाट सिंचाई योजना के जीणांद्वार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य | 677.280 | 16/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 19.06.2017 | 181.0000 | 0.00 | 304.31 | 304.31 |
| | | | लालोहार जिला नगर विधान सिंचाई योजना के जीणांद्वार एवं लाईनिंग कार्य | 1163.310 | 27/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 24.07.2017 | 396.3700 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | रुपांकण प्रमंडल सं.-1, मैदिनीनगर (PLMIRR012) | मैदिनीनगर | बतरे बीतर सिंचाई योजना का पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य | 1747.000 | 47/18-19 प्र.स्वी. दिनांक - 04.01.2019 | 0.0000 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| | | | योगा | 0.0000 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | | 17193 |
| 7 | जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIRR008) | हजारीबाग | धाघरा जलाशय योजना के नहरों के लाईनिंग साइट E.R.M कार्य | 1916.859 | 82/14-15 प्र.स्वी. दिनांक - 27.03.2015 | 1616.0500 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | जमुनिया जलाशय योजना के मुख्य नहरों का लाईनिंग साइट पुनरुद्धार कार्य | 2265.000 | 72/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 09.01.2018 | 842.7300 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| | | | योगा | 2458.7800 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 | | |

१५०/१०१

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंता)

१५०/१०१

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

१५०/१०१

विपत्र कोड- 49S470180800540545

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपलब्ध ₹ 36000.00 लाख (₹ तीन सौ साठ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र० | प्रमंडल का नाम | मुख्य अभियंता | प्रशासनिक स्थिकृति की | | मार्च 2019 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन | | | | On-line Allotment Access No. | अस्थूकिति |
|---|---|---------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------|
| | | | राशि | प्रसंग | | पूर्त का अवंत | वर्तमान आवंटन | आवंटित राशि | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 74/15-16 प्रस्त्री। | 74/15-16 प्रस्त्री। | 7637.3300 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 17202 |
| 8 | तेनुधाट बाँध प्रमंडल, तेनुधाट (BKIRR002) | हजारीबाग | रावड़ी बराज योजना के पुनरुद्धार (ERM) कार्य हेतु चुहिया बीयर योजना के पुनरुद्धार (ERM) कार्य हेतु | 13054.400 8515.250 | दिनांक -21.03.2016 05/16-17 प्रस्त्री। दिनांक -12.04.2016 Online AA-2262/26.02.2018 | Online AA-2261/26.02.2018 | 7637.3300 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 17205 |
| 9 | जलपथ प्रमंडल, बरही (HZBIRR017) | हजारीबाग | अंजनगढ़ा जलाशय योजना के पुनरुद्धार कार्य बरही जलाशय योजना के मुख्य नहर के 820 किमीतक लाइनिंग सहित पुनरुद्धार (ERM) कार्य | 6753.000 1542.999 | 44/18-19 प्रस्त्री। दिनांक -01.01.2019 77 / 16-17 प्रस्त्री। दिनांक -17.01.2017 Online AA-2194/22.02.19 | Online AA-1745/02.01.19 1587.7027 | 0.0000 0.00 | 1980.00 67.21 | 1980.00 67.21 | 17209 17212 | |
| 10 | सिंचाई प्रमंडल, गोडडा सिंचाई महगामा (GDDIRR001) | देवधर | मौरा बाँध बराज योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य | 1490.950 | 54/18-19 प्रस्त्री। दिनांक -01.02.2019 Online AA-2009.04.02.19 | 0.0000 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 17215 | |
| 11 | सिंचाई प्रमंडल, तुमका (DMKIRR002) | देवधर | पातुड़ जिला नर्गति सूर्योदी जलाशय योजना के ईवारप्रम कार्य हेतु। | 1042.580 | 53 / 16-17 प्रस्त्री। दिनांक -22.09.2016 Online A-A-1422/27.09.16 | 819.7800 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 17217 | |
| आवादित राशि - ₹ एक सौ नियानबे करोड़ एकसठ लाख सहत्तर हजार मात्र। | | | योगा | 819.7800 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 19961.77 | 19961.77 | |
| | | | कुल योगा | 0.00 | 19961.77 | 19961.77 | | | | | |

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंता)

(रमेश कुमार द्वे)
विशेष सचिव

(हमन्त कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख-1
अपर मुख्य सचिव